बिहार सरकार
उद्योग विभाग (तकनीकी विकास)

पत्रांक– /पटना, दिनांक–
सं0सं0– स्टाम्प ड्यूटी/110/2015

प्रेषक,

निदेशक,
तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अवर निबंधक,
जिला निबंधन कार्यालय, गोपालगंज।

विषय :– **मेसर्स ओम साई सर्विसेंज, प्रा0 लि0, गोपालगंज द्वारा थावे, गोपालगंज में रेसिडेसियल होटल वीथ वैक्यूट हॉल एण्ड रेस्टोरेंट की इकाई स्थापना हेतु क्रय किए जानेवाले 23 (तेईस) डीसमल भूमि पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क में छूट प्रदान करने हेतु प्राधिकार–पत्र।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि मेसर्स ओम साई सर्विसेंज, प्रा0 लि0, गोपालगंज द्वारा थावे, गोपालगंज में रेसिडेसियल होटल वीथ वैक्यूट हॉल एण्ड रेस्टोरेंट की इकाई स्थापना हेतु अपने आवेदन, विवरण एवं नक्शा के अनुरूप कुल 23 (तेईस) डीसमल भूमि के क्रय पर सरकार द्वारा निर्गत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2011 की कंडिका–1 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क में छूट प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में निबंधन विभाग से आदेश संख्या 3216/3217, दिनांक 24–10–11 एवं उद्योग विभाग द्वारा पत्रांक 2516, दिनांक 22–7–11 एवं 5639 (स0), दिनांक 28–11–12 से प्रकिया निर्धारित की गई है। प्रस्ताव पर दिनांक 31.08.2015 को राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् का सहमति प्राप्त है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क में छूट प्रदान करने हेतु निबंधन विभाग के आदेश संख्या 3216/3217, दिनांक 24–10–11 में निहित शर्त्तों के अनुसार उद्योग की स्थापना हेतु कम्पनी के पक्ष में मौजा–शिवस्थान, थावे, थानां नं0– 120, खाता नं0– 57, खेसरा नं0– 553 से कुल रकबा 23 (तेईस) डीसमल भूमि के क्रय पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क में छूट प्रदान करने हेतु प्राधिकार–पत्र निर्गत किया जाता है। भूमि संबंधी कागजात संलग्न है।

कम्पनी द्वारा क्रय किए जाने वाले भूमि का उपयोग उपर्युक्त वर्णित उद्योग के लिए ही की जाएगी। यह सुविधा दोबारा देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में अग्रेतर कारवाई करने के उपरान्त स्टाम्प डयूटी एवं निबंधन शूल्क में छुट की राशि सहित पूर्ण विवरणी के साथ एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनु0–यथा उपरोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
निदेशक,
तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–   /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/प्रधान सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेघ विभाग, बिहार, पटना एवं सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–   /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– मेसर्स ओम साई सर्विसेंज प्रा0 लि0, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 390   /पटना, दिनांक– 23.02.16

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

23.02.2016
निदेशक,
तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।